दूरभाष : (0522) 2239523
कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि
राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ
ईमेल upspn-lko@up.gov.in
वेबसाइट upspnlko.up.gov.in

पत्रांक : 769 /छः/2/एसपीएन दिनांक : 02 नवंबर' 2021

उप महानिदेशक (DDG)
निदेशालय आर्मी वेटरन सेल (DIAV)
104 कावालरी रोड
नई दिल्ली कैन्ट–110010
ईमेल– armyveteranscell@gmail.com

विषय : निधि द्वारा संचालित योजनाओं में दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि

महोदय,

1. आप अवगत ही हैं कि प्रदेश के पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों के कल्याणार्थ इस कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओ को ऑनलाईन किये जाने हेतु एक वेबसाइट (**www.upspnlko.up.gov.in**) का माननीय श्री राज्यपाल महोदया द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर 2019 को लोकार्पण किया गया है जिससे योजनाओं के अन्तर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता का पूर्व सैनिकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

2. माननीया श्री राज्यपाल, उ0प्र0/अध्यक्ष निधि द्वारा निम्न योजनाओं में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को पुनः बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

(क) वार्षिक शैक्षिक सहायता योजना में बढ़ोत्तरी (वित्तीय वर्ष 2020–21 से)

कम सं0	कक्षा स्तर	पूर्व की दरें	वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रभावी दरें
1	कक्षा 9–10	5,000/-	**6,500/-**
2	कक्षा 11–12	6,000/-	**7,500/-**
3	स्नातक स्तर – (बी0ए0 तथा बी0काम0, बी0एस0सी0, बी0एड0, बी0बी0ए0 आदि)	7,000/-	**8,500/-**
4	स्नातकोत्तर स्तर– (एम0ए0, एम0काम0 एम0एस0सी0 आदि)	9,000/-	**11,000/-**
5	इण्टर स्तर तक के तकनीकी कोर्स – आई0टी0आई0 एवं अन्य सर्टिफिकेट कोर्स	10,000/-	**13,000/-**
6	स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी कोर्स (बी0ए0एम0एस0, बी0डी0एस0, बी0टेक0, बी0बी0एस0सी0, एम0बी0ए0, एम0बी0बी0एस0 आदि)	25,000/-	**30,000/-**

(ख) NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/ Women Entry में उत्तीर्ण होने वाले उत्तर प्रदेश के जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के आश्रितों को आर्थिक सहायता – रू0 50,000/– से बढ़ाकर रू0 1,00,000/–

(ग) उत्तर प्रदेश के जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता – रू0 50,000/– से बढ़ाकर रू0 1,00,000/–

3. अतः अनुरोध है कि निधि की योजनाओं में बढ़ायी गयी धनराशि को उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के मध्य अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कराये जाने हेतु अपनी वेबसाइट में अपलोड कराने की कृपा करें। निधि की योजनाओं से संबंधित ब्रोशर की प्रति भी प्रचार–प्रसार हेतु संलग्न है।

भवदीय,

(ब्रिगेडियर रवि)
(अ0प्रा0)
सचिव

दूरभाष : (0522) 2239523
कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि
राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ
ईमेल upspn-lko@up.gov.in
वेबसाइट upspnlko.up.gov.in

पत्रांक : 770 /छः/2/एसपीएन दिनांक : 02 नवंबर' 2021

सचिव
केन्द्रीय सैनिक बोर्ड
रक्षा मंत्रालय भारत सरकार,
पश्चिमी ब्लाक–IV विंग–5,
आर0के0 पुरम, नई दिल्ली–110022

विषय : निधि द्वारा संचालित योजनाओं में दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि

महोदय,

1. आप अवगत ही हैं कि प्रदेश के पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों के कल्याणार्थ इस कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओ को ऑनलाईन किये जाने हेतु एक वेबसाइट (**www.upspnlko.up.gov.in**) का माननीय श्री राज्यपाल महोदया द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर 2019 को लोकार्पण किया गया है जिससे योजनाओं के अन्तर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता का पूर्व सैनिकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

2. अवगत कराना है कि माननीया श्री राज्यपाल, उ0प्र0/अध्यक्ष निधि द्वारा निम्न योजनाओं में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को पुनः बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

(क) <u>वार्षिक शैक्षिक सहायता योजना में बढ़ोत्तरी (वित्तीय वर्ष 2020–21 से)</u>

क्रम सं0	कक्षा स्तर	पूर्व की दरें	वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रभावी दरें
1	कक्षा 9–10	5,000/-	**6,500/-**
2	कक्षा 11–12	6,000/-	**7,500/-**
3	<u>स्नातक स्तर</u> – (बी0ए0 तथा बी0काम0, बी0एस0सी0, बी0एड0, बी0बी0ए0 आदि)	7,000/-	**8,500/-**
4	<u>स्नातकोत्तर स्तर</u>– (एम0ए0, एम0काम0 एम0एस0सी0 आदि)	9,000/-	**11,000/-**
5	<u>इण्टर स्तर तक के तकनीकी कोर्स</u> – आई0टी0आई0 एवं अन्य सर्टिफिकेट कोर्स	10,000/-	**13,000/-**
6	<u>स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी कोर्स</u> (बी0ए0एम0एस0, बी0डी0एस0, बी0टेक0, बी0बी0एस0सी0, एम0बी0ए0, एम0बी0बी0एस0 आदि)	25,000/-	**30,000/-**

(ख) **NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/ Women Entry** में उत्तीर्ण होने वाले उत्तर प्रदेश के जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के आश्रितों को आर्थिक सहायता – रू0 50,000/– से बढ़ाकर रू0 1,00,000/–

(ग) उत्तर प्रदेश के जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता – रू0 50,000/– से बढ़ाकर रू0 1,00,000/–

3. अतः अनुरोध है कि निधि की योजनाओं में बढ़ायी गयी धनराशि को उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के मध्य अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कराये जाने हेतु अपनी वेबसाइट में अपलोड कराने की कृपा करें। निधि की योजनाओं से संबंधित ब्रोशर की प्रति भी प्रचार–प्रसार हेतु संलग्न है।

भवदीय,

(ब्रिगेडियर रवि)
(अ0प्रा0)
सचिव

(क) रू0 5.00 लाख तक के ऋण पर ऋण के 10 प्रति   ात तथा रू0 5,00,001/– से रू0 10,00,000/– तक के ऋण पर ऋण के 5 प्रतिशत की छूट देय।

(ख) रू0 10.00 लाख से अधिक ऋण लिये जाने वाले प्रकरणों पर केवल रू0 10.00 लाख ऋण मानते हुये ऋण पर उक्त प्रस्तावित योजना के प्रस्तर–क के अनुसार छूट दी जायेगी।

(ग) पूर्व सैनिक द्वारा अपने पुत्र/पुत्री (अधिकतक दो बच्चों हेतु) हेतु तकनीकी शिक्षा के लिये बैंक से लिये जाने वाले ऋण पर भी उक्तानुसार छूट प्रदान की जायेगी।

अर्हताऐं

(क) ऋण प्राप्त करने की तिथि के छः माह के बाद प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

(ख) प्रार्थना पत्र ऋण अदायगी की प्रथम किश्त की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर निधि कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये अन्यथा कालातीत माना जायेगा।

(ग) प्रार्थना पत्र के साथ "नान इम्प्लायमेन्ट सर्टिफिकेट", उपभोग प्रमाण पत्र, बैंक खाते की नकल, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की छायाप्रति, यदि वाहन कय किया गया हो तो वाहन के निवन्धन सर्टिफिकेट की छायाप्रति (वाहन का टैक्सी में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है), इन्   योरेन्स की छायाप्रति, पूर्व सैनिक/विधवा का बैंक खाते का विवरण संलग्न करना आवश्यक है। सभी प्रपत्र सत्यापित होना अनिवार्य है।

(घ) कैश केडिट लोन पर छूट देना अनुमन्य नहीं है। केवल टर्म लोन पर ही छूट अनुमन्य होगी।

(द) <u>NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/ Women Entry में उत्तीर्ण होने वाले उत्तर प्रदेश के जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना।</u> (दरें दिनांक मार्च 2021 से संशोधित)

जे0सी0ओ0 रैक तक के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के दो पुत्र/पुत्रियों तक रू0 1,00,000/– प्रति की एकमुश्त सहायता प्रदान किये जाने का **टाटा ट्रस्ट, मुम्बई** द्वारा निर्णय लिया गया है।

अर्हताऐं

आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये विवरण संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना है। निम्न अर्हताऐं/अभिलेख आव   यक हैं :–

(क) प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व सैनिक के डिस्चार्ज बुक तथा संबंधित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीयन की प्रमाणित छायाप्रति।

(ख) उपरोक्त परीक्षाओं में चयनित होने से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति।

(ग) उपरोक्त से संबंधित विभागों/इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने संबंधी विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र।

(घ) अभ्यर्थी के बैंक की पासबुक की प्रति जिसमें बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड द   ाया गया हो।

(च) पूर्व सैनिक के जीवित न होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

(छ) प्रार्थना पत्र संबंधित विभागों/इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर निधि कार्यालय में आना अनिवार्य है अन्यथा कालातीत माना जायेगा।

(य) <u>टाटा एजुकेशन एण्ड डेवलेपमेन्ट ट्रस्ट द्वारा अनुदानित योजना NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/Women Entry में उत्तीर्ण जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के आश्रितों की दी जाने वाली आर्थिक सहायता योजना में पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं की पुत्रियों को निधि से रू0 50,000/– की अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने पर विचार।</u>

मानननीय श्री राज्यपाल द्वारा NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/Women Entry में जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं की पुत्रियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त योजना में टाटा ट्रस्ट द्वारा दी जाने वाली धनराशि रू0 1,00,000/– के अतिरिक्त निधि से भी रू0 50,000/– प्रति आश्रित (पुत्री) की दर से अधिकतम दो पुत्रियों को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

निधि की प्रबन्ध समिति की 48वीं बैठक दिनांक 16 सितम्बर 2021

उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि

उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों हेतु उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही योजनाऐं

आजादी का अमृत महोत्सव

मोबाइल–9335046198, 8957401274
ईमेल– upspn-lko@up.gov.in
विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.upspnlko.up.gov.in पर उपलब्ध है।

उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि

उत्तर प्रदेश शासन, सैनिक कल्याण अनुभाग की अधिसूचना सं0 468/48/83.एस.के.11–2–(13)/79, दिनांक 15 फरवरी, 1983 द्वारा यू0पी0 पोस्टवार सर्विसेज रिकॉन्सट्रक्शन फण्ड ट्रस्ट तथा यू0पी0 स्पेशल फण्ड ट्रस्ट नामक दो ट्रस्टों को समामेलित कर उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि का गठन किया गया। भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा दी गयी कार्पस धनराशि के प्राप्त ब्याज से इस कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिको/उनकी विधवाओ एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबन्ध समिति निम्नवत् है :–

क. श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश – अध्यक्ष
ख. चीफ ऑफ स्टाफ, मध्य कमान –प्रथम उपाध्यक्ष
ग. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0–द्वितीय उपाध्यक्ष
घ. चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी द्वारा नामित दो पूर्व सैनिक अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो।
च. श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित दो व्यक्ति जो पूर्व सैनिकों के कल्याण मे रूचि रखते हो।
छ. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित एक व्यक्ति जो पूर्व सैनिकों के कल्याण मे रूचि रखता हो।
ज. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि

2. **टाटा एजूकेशन एवं डेवलपमेंट ट्रस्ट, मुम्बई** द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जरूरतमंद विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है। इसी क्रम में टाटा ट्रस्ट द्वारा निधि की दो योजनाओ (वार्षिक शैक्षिक सहायता एवं NDA/IMA/OTA/AF Academy/ Naval Academy/ Women Entry में उत्तीर्ण होने वाले पूर्व सैनिकों के आश्रितों को सहायता) हेतु वर्ष 2018–19 से तीन वर्षो तक रू0 1.00 करोड़ (प्रतिवर्ष) दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा योजनाओ यथा वार्षिक शैक्षिक सहायता एवं पूर्व सैनिकों की विधवाओ की पुत्रियो के विवाह हेतु अनुदान योजना को ऑनलाइन कर दिया गया है जिसकी वेबसाइट www.upspnlko.up.gov.in है। उक्त वेबसाइट का उदघाटन माननीया श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर 2019 को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के दिन किया गया। उक्त वेबसाइट के माध्यम से पूर्व सैनिक/विधवा एवं उनके आश्रित आर्थिक अनुदान हेतु आवेदन कर सकते है।

<u>उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि का कृषि प्रक्षेत्र अटारी, माल, लखनऊ</u>

उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि प्रक्षेत्र अटारी, लखनऊ माल भरावन रोड पर माल विकास खण्ड से लगभग 05 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। इस प्रक्षेत्र का क्षेत्रफल 543.34 हेक्टयर (1342.05 एकड़) है। प्रक्षेत्र की 1342.05 एकड़ भूमि में से 1082.96 एकड़ लखनऊ में तथा 259.09 एकड़ हरदोई जनपद में स्थित है। प्रक्षेत्र चार प्रखण्डों मुख्यालय (जानकीनगर), जलौली, नौबस्ता एवं शाहमऊ में विभक्त है।

माननीय श्री राज्यपाल, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2020 को अटारी प्रक्षेत्र का भ्रमण किया गया।

उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा संचालित योजनाऐं

टाटा ट्रस्ट, मुम्बई द्वारा वर्ष 2018–19 से आगामी तीन वर्षो तक उक्त योजना के अन्तर्गत उत्तीण होने वाले अभ्यार्थियों को आर्थिक अनुदान दिए जाने का निर्णय के फलस्वरूप माननीय श्री राज्यपाल द्वारा निम्नवत आर्थिक सहायता की राशि में बढ़ोत्तरी किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(अ) वार्षिक शैक्षिक सहायता (प्रतिवर्ष)

(दरें वित्तीय वर्ष 2020–21 से संशोधित)

क्र0सं.	कक्षा स्तर	जुलाई 2020	बढ़ायी गयी धनराशि
1	कक्षा 9–10	5000.00	6500
2	कक्षा 11–12	6000.00	7500
3	स्नातक स्तर (बी0ए0 तथा बी0काम0, बी0एस0सी0, बी0एड0, बी0बी0ए0 आदि)	7000.00	8500
4	स्नातकोत्तर स्तर– (एम0ए0, एम0काम0 एम0एस0सी0 आदि)	9000.00	11000
5	इण्टर स्तर तक के तकनीकी कोर्स – आई0टी0आई0 एव अन्य सर्टिफिकेट कोर्स	10000.00	13000
6	स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी कोर्स (बी0ए0एम0एस0, बी0डी0एस0, बी0टेक0, बी0बी0एस0सी0, एम0बी0ए0, एम0बी0बी0एस0 आदि)	25000.00	30000

अर्हताऐं

शैक्षिक सहायता प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित अर्हताऐं आवश्यक हैं :–

(क) शिक्षण/प्रशिक्षण सत्र आरम्भ होते ही दिनांक 31 अक्टूबर तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है।
(ख) कक्षा 9 से तथा इससे ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को पिछली कक्षा को उत्तीर्ण करने में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। पिछली कक्षा की अंकतालिका सत्यापित होना अनिवार्य है।
(ग) शैक्षिक सहायता एक पूर्व सैनिक/विधवा के दो बच्चों तक को ही अनुमन्य है।
(घ) केवल हवलदार रैक तक के पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देय होगी। यदि पूर्व सैनिक जीवित नहीं है तो जे0सी0ओ0रैक तक के पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देय होगी।
(ड़) पूर्व सैनिक किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिये।

(ब) पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता

माननीय श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2020 से पूर्व सैनिकों (जे0सी0ओ0 रैक तक) की विधवाओं की दो पुत्रियों के विवाह हेतु पूर्व में दी जाने वाली धनराशि रू0 50,000/– को बढ़ाकर रू0 **1,00,000/– प्रति पुत्री** की एकमुश्त सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अर्हताऐं

(क) विवाह के समय पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
(ख) प्रार्थना पत्र के साथ डिस्चार्ज बुक की प्रमाणित छायाप्रति, कन्या एवं वर की पूरी जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, वर एवं कन्या के विवाह कार्ड या प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक का मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह सम्पन्न होने संबंधी प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक की विधवा का बैंक खाते का विवरण (सभी प्रपत्र सत्यापित) अवश्य संलग्न किया जाना चाहिये।
(ग) ग्राम प्रधान/सभासद एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की प्रार्थना पत्र (फार्म प्रारूप) पर संस्तुति होनी चाहिये।
(घ) विवाह की तिथि से एक वर्ष के अन्दर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है अन्यथा कालातीत माना जायेगा।
(च) यदि इस प्रयोजन हेतु शासन से सहायता प्राप्त हो चुकी है तो प्रार्थना पत्र निधि कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये।

(स) पूर्व सैनिकों द्वारा पुनर्वास हेतु लिये गये ऋण में छूट देना

पूर्व सैनिक/उनकी विधवा द्वारा अपने पुनर्वास (स्वरोजगार) हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, कृषि विकास बैंक या किसी अन्य सरकारी वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण पर निम्न प्रकार छूट प्रदान की जाती है:–**(दरें दिनांक 19 जुलाई 2019 से संशोधित)**